(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित** )

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**जी. संख्या 49** **नई दिल्ली**, 16 फरवरी, 2010

## अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, नेपाल बद्ध कार्गो के मामले में आदेशों सं. टीएएमपी/29/2009–विविध दिनांक 25 अगस्त 2009 और 22 सितम्बर 2009 की अनुप्रयोज्यता स्पष्ट करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/29/2009–विविध

## आदेश

(फरवरी, 2010 के 5वें दिन पारित)

पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार ने पत्तन क्षेत्र में प्रभारित चीनी और दालों के मामले में विलंबशुल्क प्रभारों/लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने के लिए इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन अपने आदेश सं. पीटी–11033/46/2009–पीटी दिनांक 21 अगस्त, 2009 द्वारा एक निदेश जारी किया था। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने 25 अगस्त 2009 को एक आदेश पारित किया था, जिसे राजपत्र सं. 158 द्वारा 25 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. भारत सरकार द्वारा अपने आदेश सं. पीटी–11033/46/2009–पीटी दिनांक 17 सितम्बर, 2009 द्वारा तत्पश्चात जारी किए गए निदेश के अनुसरण में, इस प्राधिकरण ने एक आदेश सं. टीएएमपी/29/2009–विविध दिनांक 22 सितम्बर 2009 पारित किया था जिसे राजपत्र सं. 177 द्वारा 23 सितम्बर 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. नेपाल के वाणिज्य दूतावास के अध्यक्ष ने इस प्राधिकरण द्वारा 25 अगस्त 2009 को पारित आदेश में निर्धारित संशोधित भंडारण प्रभार/लाइसेंस शुल्क की वसूली से नेपाल से संबंधित कार्गो को छूट देने के लिए अपने पत्रों दिनांक 15 सितम्बर 2009 और 10 दिसम्बर 2009 द्वारा इस प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया था। कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) ने भी अपने पत्र दिनांक 20 अक्तूबर 2009 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा था कि क्या संशोधित भंडारण प्रभार/लाइसेंस शुल्क इसके पत्तन के माध्यम से नेपाल के लिए आयातित दालों/चीनी पर लागू होगा। नेपाल के वाणिज्य दूतावास के अध्यक्ष और केओपीटी दोनों से प्राप्त अभ्यावेदनों को पोत परिवहन मंत्रालय को इस मामले में उनकी सलाह माँगने के लिए अग्रेषित किया गया था।

4. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अपने पत्र सं. पीटी–11033/46/2009–पीटी (खंड–II) दिनांक 2 फरवरी 2010 द्वारा स्पष्ट किया है कि अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2009 में निर्धारित वर्धित विलंबशुल्क प्रभार/लाइसेंस शुल्क नेपाल बद्ध कार्गो पर लागू नहीं हैं और ऐसा कार्गो विलंबशुल्क प्रभार/लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करने वाली अधिसूचनाओं के जारी होने से पहले यथा लागू दरों द्वारा शासित किया जाएगा।

5. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि दालों और चीनी के लिए भंडारण प्रभार/लाइसेंस शुल्क संशोधित करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 25 अगस्त 2009 और 22 सितम्बर 2009 नेपाल बद्ध कार्गो पर लागू नहीं होंगे। नेपाल बद्ध कार्गो इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 25 अगस्त 2009 के जारी होने से पहले संबद्ध महापत्तन न्यासों/वहाँ पर निजी टर्मिनलों के दरमान में लागू दरों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा